प्ररूप सं. 27खक

[नियम 37ञ *देखें*]

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206ग की उपधारा (6क) के पहले परंतुक के अधीन लेखाकार का प्रमाणपत्र देने के लिए प्ररूप

मैं ..... (धारा 206ग के अर्थान्तर्गत) ..... के मामले में
(नाम) (विक्रयकर्ता/अनुज्ञापक/पट्टाकर्ता का नाम)

[1][स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक] सहित ..... और टैन .....
(विक्रयकर्ता/अनुज्ञापक/पट्टाकर्ता का [1][स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक])
(विक्रयकर्ता/अनुज्ञापक/पट्टाकर्ता का टैन)

..... में अवस्थित कर संग्रह करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति हूँ।
(विक्रयकर्ता/अनुज्ञापक/पट्टाकर्ता का नाम)

मैं कथन करता हूँ कि मैं संपूर्ण कर या उसके किसी भाग का कटौती के बिना ..... के खाते में
(क्रेता/अनुज्ञप्तिधारक/पट्टाधारी का नाम)
..... रुपए की रकम संदत्त करने को या जमा कराने को उत्तरदायी व्यक्ति हूँ।

किसी लेखाकार से यह प्रमाणित करने का प्रमाण पत्र कि पाने वाले व्यक्ति ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206ग की उपधारा (6क) के पहले परंतुक में वर्णित सभी शर्तें पूर्ण कर ली हैं, इस प्ररूप के उपाबंध 'क' के रूप में संलग्न है।

मैं यह और कथन करता हूँ कि कर के अकटौती/कम कटौती के लिए रकम धारा 206ग की उपधारा (7) के अधीन ब्याज ..... रुपए *मेरे द्वारा संदत्त कर दिया गया है, जिसके ब्यौरे निम्नलिखित हैं :-

बीएसआर कोड/**24छ प्राप्ति संख्यांक (बीआईएन के पहले सात अंक)	चालान क्रम संख्यांक/** डीडीओ क्रम संख्यांक (बीआईएन के अंतिम पांच अंक)	चालान के माध्यम से जमा की तारीख/** अंतरण वाउचर की तारीख

1. आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.9.2019 से "स्थायी खाता संख्यांक" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

या

*मेरे द्वारा अभी तक संदत्त नहीं किया गया है।

स्थान : ..... हस्ताक्षर : .....

तारीख : ..... पदनाम : .....

#सरकारी कटौतीकर्ता की दशा में, "[1][स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक] की अपेक्षा नहीं" अवश्य वर्णित करें।

*जो आवश्यक न हो उसे काट दें।

** चालान संदत्त किए बिना किए गए संदाय के लिए।

उपाबंध क

क्रेता/अनुज्ञप्तिधारी/पट्टाधारी द्वारा आय की विवरणी, कर के संदाय आदि के देने को प्रमाणित करने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206ग की उपधारा (6क) के पहले परंतुक के अधीन लेखाकार का प्रमाण पत्र

मैं/हम पुष्टि करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने ..... की अवधि के लिए ..... से सुसंगत खातों, दस्तावेजों और अभिलेखों का

([1][स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक] के साथ क्रेता/अनुज्ञप्तिधारी/पट्टाधारी का नाम और पता)

परीक्षण किया है और निम्नलिखित प्रमाणित करते हैं :

(*i*) ..... (में विक्रयकर्ता/अनुज्ञापक/पट्टाकर्ता) ने अध्याय 17-खख के उपबंधों के अनुसरण में कटौती किए बिना संपूर्ण कर या उसके किसी भाग का ..... (क्रयकर्ता/अनुज्ञप्तिधारी/पट्टाधारी) के खाते में निम्नलिखित रकम प्राप्त या नामें कर दिए हैं।

प्राप्ति की प्रकृति	प्राप्ति या विकलन की प्रकृति	धारा जिसके अधीन कर कटौती योग्य था	प्राप्ति या विकलित रकम	संग्रहण योग्य कर की रकम	संग्रहीत रकम के ब्यौरे, यदि कोई हों	
					संग्रहीत की गई रकम	संग्रहण की तारीख

1. आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.9.2019 से "स्थायी खाता संख्यांक" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(*ii*) क्रेता/अनुज्ञप्तिधारी/पट्टाधारी, उपर्युक्त (*i*) में निर्दिष्ट प्राप्ति के, से सुसंगत निर्धारण वर्ष ..... के लिए आय की अपनी विवरणी दे दी है। क्रेता/अनुज्ञप्तिधारी/पट्टाधारी द्वारा फाइल की गई जमा की विवरणी के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

विवरणी फाइल करने की तारीख	फाइल करने का ढंग जैसे ई-फाइल या पेपर विवरणी	विवरणी फाइल की अभिस्वीकृति संख्या	यदि पेपर विवरणी है... निर्धारण अधिकारी का नाम और पता	फाइल की गई विवरणी के अनुसार कुल कर योग्य आय की रकम	विवरणी में घोषित आय पर शोध्य कर	संदत्त कर के ब्यौरे

(*iii*) क्रेता/अनुज्ञप्तिधारी/पट्टाधारी, उसके द्वारा फाइल किए गए आय की विवरणी में अपनी कर योग्य आय की गणना के लिए (*i*) में निर्दिष्ट राशि की रकम अपने खाते में लेगा, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

संदाय जिस पर कर संग्रहण नहीं किया गया है	आय का शीर्ष जिसके अधीन संदाय का लेखा जोखा किया गया है	आय का शीर्ष जिसके अधीन सकल संदाय का लेखा जोखा किया गया है	आय का शीर्ष जिसके अधीन कर योग्य आय की रकम के संदाय का लेखा जोखा किया गया है

(*iv*) यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि दी गई जानकारी सभी प्रकार से सत्य और सही है और कोई सुसंगत जानकारी छिपाई या रोकी नहीं गई है।

(*v*) न तो मैं न ही मेरा कोई भागीदार, उपर्युक्त वर्णित अस्तित्व या इसके सहबद्ध समुत्थानों में निदेशक, भागीदार या कर्मचारी है।

मैं/हम यह पूर्णतः समझते हैं कि इस प्रमाण पत्र में किया गया कथन, यदि असत्य या मिथ्या सिद्ध होता है तो मैं/हम* विधि में या अन्यथा विहित किसी शास्ति या अन्य परिणामों के लिए दायी होंगे।

(हस्ताक्षरकर्ता की मोहर/मुहर)

† लेखाकार

स्थान : .....

तारीख : .....

हस्ताक्षरकर्ता का नाम : .....

पूरा पता : .....

सदस्यता संख्या : .....

टिप्पण :-

1. *जो लागू न हो उसे काट दें।
2. †यह प्रमाण पत्र निम्नलिखित द्वारा दिया जाना है,-

   (*i*) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अर्थांतर्गत किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा; या

   (*ii*) कोई व्यक्ति, जो किसी राज्य के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 226 की उपधारा (2) के उपबंधों के आधार पर उक्त राज्य में रजिस्ट्रीकृत कंपनियों के किसी लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त होने का हकदार है।